1/10/10 पत्रावली पेश हुई। आर. वा. आवाज लगाई गयी कोई हाजिर नहीं। वादी व उसके वकील की अदम हाजिरी व अदम पैरवी में वादी का वाद खारिज किया जाता है। नतीजा से कम होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर की जावे।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज.